



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



तार: "महासर्वेक्षक"

Telegram: "SURVEYS"

फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

E-Mail/ई-मेल: sgo@sancharnet.in

सं०सी-343/1354(सहायक/एच.सी.)

सेवा में,

महासर्वेक्षक का कार्यालय

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,

देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।

DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

दिनांक: 29 अप्रैल, 2013

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मध्य क्षेत्र ।

निदेशक: उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: सहायक/मुख्य लिपिक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक/मुख्य लिपिक के पद पर रू० 9,300-34,800 + रू० 4200 ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Smt Shakuntala Sahoo	Orissa GDC, Bhubaneswar	Bihar GDC, Patna	-
2.	Shri P. Jayashree	Karnataka GDC, Bangalore	Kerala & Lakshdweep GDC, Trivandrum	-
3.	Shri R.S. Rawat	Survey (Air) & Delhi GDC, New Delhi	G&RB, Dehra Dun	-
4.	Shri D. Chatterjee	West Bengal & Sikkim GDC, Kolkata	Bihar GDC, Patna	-
5.	Shri R.S. Kathet	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	-
6.	Shri N.K. Narula	SGO, Dehra Dun	J&K GDC, Jammu	-
7.	Shri Manohar Lal Nautiyal	G&RB, Dehra Dun	J&K GDC, Jammu	-

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 30.05.2013 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उनकी अस्वीकृति की तारीख से उन्हें एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

क्रमशः.....2/-

5. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
6. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

(चन्द्र पाल)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक: बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/केरल एवं लक्षद्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।
3. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/जयपुर/कोलकाता ।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
6. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।